HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15961/2026
CNR: RJHC020978402026 | URN: CRLMB / 29588U / 2026

Gulshan S/o Premnath, Aged About 39 Years, R/o 68-B, Gali No. 01, Jain Nagar, Sector-38, Police Station Begampur, District Rohini, Dilli. (At Present Petitioner Is Confined In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. T L Pandey
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली, जिला–अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 178, 179, 180 भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा प्रार्थी के आधिपत्य से कोई नकली नोट बरामद नहीं हुए हैं। प्रार्थी को केवल सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर ही प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। जिन सहअभियुक्तगण के आधिपत्य से नकली नोटों की बरामदगी हुई है, उन्हें इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 08.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध यह आक्षेप है कि वह नकली नोटों की छपाई का काम करता था इस सम्बन्ध में प्रार्थी की भाभी (मकान मालिक) के कथन अभिलेख पर हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी के आधिपत्य से नोट छापने की सामग्री एवं नकली नोट जब्त भी किए गए हैं। उनका तर्क है कि अभियुक्त ने उस स्थान पर तस्दीक भी करवाई है जहां नकली नोट छापे गए थे। गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त नहीं किया जावे।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 178, 179, 180 भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर नकली नोटों की छपाई करने का आक्षेप है। प्रकरण के अन्वेषण से यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी द्वारा 500–500 रूपये के नकली नोट छापने का कार्य किया जाता था तथा उसने नकली नोट असल के रूप में चलाने हेतु सुनील बैरवा को उपलब्ध कराये तथा उसके एवज में असल मुद्रा नकद व फोन पे पर प्राप्त की। अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि प्रार्थी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 500–500 रूपये के नकली नोट लेपटॉप–प्रिन्टर से छापे थे, जो सामग्री प्रार्थी के आधिपत्य से बरामद की गई है। प्रकरण के अन्वेषण के दौरान प्रार्थी की भाभी मीता सिंह के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, जिसने अपने इस्लामपुरा से बसन्तपुर कॉलोनी, फरीदाबाद के खाली मकान में प्रार्थी का रहना बताया है, जिस मकान में प्रार्थी नकली नोट छापने का कार्य करता था तथा उक्त स्थल की तस्दीक प्रार्थी द्वारा की गई है। प्रार्थी के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

46/VISHAL SHARMA